UPGK010023192026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं०-997/2026

सन्त पुत्र शिव कुमार चतुर्वेदी उम्र करीब 50 वर्ष निवासी साकिन मो०- बसन्तपुर, थाना राजघाट, जिला गोरखपुर।

--------आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **-------------विपक्षी**

एस०टी० सं०-169/2009
मु०अ०सं०-217ए/2007
धारा- 147, 323, 506 भा०दं०सं०
व धारा 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना-राजघाट, जिला-गोरखपुर।

दिनांक-13-03-2026

आवेदक/अभियुक्त सन्त की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र कुसुम देवी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि शपथ पत्र के साथ संलग्न द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्य सही व सच है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में संक्षेप में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी ने कोई जुर्म नहीं किया है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी उपरोक्त मुकदमे में पूर्व में जमानत पर है। प्रार्थी दिनांक 02.12.2025 को बीमार होने के कारण हाजिर अदालत नहीं आ सका। न्यायालय द्वारा प्रार्थी के खिलाफ एन०बी०डब्लू० वारण्ट कर दिया गया। प्रार्थी काफी दिनों तक बीमार रहा दाव इलाज कराने में व्यस्त रहा। प्रार्थी को वारण्ट पर दिनांक 08.03.2026 को थाना राजघाट की पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रार्थी बुजुर्ग व्यक्ति है तथा हृदय रोग बी०पी० की बीमारी से ग्रस्त है। प्रार्थी जानबूझकर हाजिर अदालत आने में कोई गुरेज नहीं किया है। प्रार्थी अपनी विश्वसनीय जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी दिनांक 08.03.2026 से जेल में है। उक्त समस्त आधारो पर आवेदक/अभियुक्त को द्वितीय जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए अपने तर्क में कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त काफी दिनों से फरार रहा है और न्यायालय की आदेशिका का उल्लंघन किया है। इस प्रकार आवेदक का द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक की बहस सुनी तथा संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त दिनांक 08-03-2025 को उसके विरुद्ध जारी गैर जमानतीय वारण्ट पर गिरफ्तार होकर रिमांड मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के समक्ष प्रस्तुत हुआ। रिमांड मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा अभियुक्त को धारा 309 सी०आर०पी०सी० बनाकर जिला कारागार भेजा गया।

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्त द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमे में पूर्व में जमानत पर है। प्रार्थी दिनांक 02.12.2025 को बीमार होने के कारण हाजिर अदालत नहीं आ सका और न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट निर्गत कर दिया गया। प्रार्थी काफी दिनों तक बीमार रहा दवा इलाज कराने में व्यस्त रहा। प्रार्थी को वारण्ट पर दिनांक 08.03.2026 को थाना राजघाट की पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रार्थी हृदय रोग बी०पी० की बीमारी से ग्रस्त है। प्रार्थी दिनांक 08.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इसलिए द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाय।

अभियुक्त की जमानत पूर्व में सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 04-05-2007 को स्वीकार की गयी है। अभियुक्त दिनांक 08-03-2026 से जिला कारागार गोरखपुर में निरुद्ध है। ऐसी स्थिति मे मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए आवेदक/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त सन्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-997/2026, मु०अ०सं०-217ए/2007, धारा- 147, 323, 506 भा०दं०सं० व 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना-राजघाट, जिला गोरखपुर में मु० 50,000/- (पचास हजार रूपये) के नये व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा समान धनराशि के दो नये विश्वसनीय प्रतिभू न्यायालय के सामने निष्पादित करने पर इस शर्त के साथ द्वितीय जमानत पर रिहा किया जाय कि वह प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रुप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय मे उपस्थित रहेगा।

(प्रवीण कुमार सिंह-द्वितीय)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर
I.D. No.-UP6051

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR SINGH
Date: 2026.03.13 17:09:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court